फर्द अहकाम

पोखर बनाम सरकार

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

केस संख्या 99/2018

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशे
	16/5/19	पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने बहस की व हस्ताक्षर युक्त वकील प्रार्थी बहस की व ताकि अवलोकन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 20/5/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
	20/5/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश के विचारार्थ है। पत्रावली में उपलब्ध कागजात, प्रार्थी के बयान एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा बहस को मनन किया जाकर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,132,136 रा. भू. रा. अधि. को स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नतीजा दर्ज हो तथा बाद तामील शामिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं. 99 / 2018

तारीख दायर 31 / 07 / 2018

तारीख फैसला 20.05.2024

1. पोखर पुत्र भूरामल
2. प्रहलाद पुत्र भूरामल
3. बाबूलाल पुत्र भूरामल
4. ताराचन्द पुत्र भूरामल
5. रामचन्द्र पुत्र भूरामल
6. पुष्पा देवी पत्नि अर्जुन
7. हरिनारायण पुत्र अर्जुन
8. कमलेश पुत्र अर्जुन
9. रेखा पुत्री अर्जुन नाबालिक जरिये संरक्षिका माता पुष्पा देवी
10. दिनेश पुत्र अर्जुन

समस्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बोबाडी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर राजस्थान ।
2. चिरन्जीलाल पुत्र गोरीसहाय
3. मामराज पुत्र भैरूराम

समस्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बोबाडी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री रमाशंकर शर्मा – वकील प्रार्थीगण।
श्री राजेश कुमार पारीक – अप्रार्थीगण।
पैराकार सरकार – उपस्थित।

प्रार्थनापत्र बाबत् नक्शा दुरूस्ती इन्द्राज नक्शा तरमीम अन्तर्गत धारा 131,132,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

–:निर्णय :–

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण नक्शा दुरूस्ती इन्द्राज नक्शा अन्तर्गत धारा 131,132,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 246 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 247 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 248 रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा जिसके हाल सेटलमेट बाद बने नवीन खसरा नम्बर 396, 397, 398, 399 कुल किता 4 कुल रकबा 3.5600है0 ग्राम बोबाडी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर मे स्थित है। विवादित भूमि जिसके हाल सेटलमेंट पूर्व खसरा नम्बर 246, 247, 248 तथा हाल सेटलमेट बाद बने नवीन खसरा नम्बर 396, 397, 398, 399 मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो कि वर्तमान नवीन नक्शा बनाते समय सेटलमेंट कर्मचारियों ने खसरा नम्बर 396 जिसके हाल सेटलमेंट पूर्व खसरा नम्बर 246 की सीमा को आवादी भूमि खसरा नम्बर 397 जिसके हाल सेटलमेंट पूर्व खसरा नम्बर 247 से दूर करते हुये नवीन नक्शें में आवादी भूमि की सीमा को बढाते हुये कायम किया गया है और गै0मु0चाह खसरा नम्बर 398 जिसके पूर्व खसरा नम्बर 246 की सीमा को सिकुडता हुआ कायम कर दिया गया है जिसके कारण गै0मु0चाह खसरा नम्बर 398 और खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 399 की पूर्वी सीमा में काफी भिन्नता हो गई है जो दुरूस्तनीय है। हाल सेटलमेंट पूर्व के नक्शें में तीन लाईने दशाई गई है जबकि नवीन नक्शें में

उपखण्ड अधिकारी

उक्त तीनों लाईनों में से एक लाईन को हटाकर नक्शे मे आबादी भूमि की सीमा को देने से वर्तमान नक्शें में भिन्नता आ गई है तथा खसरा नम्बर 398, 399 जिसके हाल सेटलमेंट पूर्व खसरा नम्बर 248मि. की भी सीमाओं को सिकुडाते हुये नक्शा कायम किया गया है जिसके कारण वर्तमान नक्शें व पूर्व नक्शें में भिन्नता हो गई है जिसको दुरूस्त करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी है। अतः खसरा नम्बर 396, 397, 398, 399 (पूर्व खसरा नम्बर 246, 247, 248) का राजस्व नक्शा पूर्वानुसार (खसरा नम्बर 246, 247, 248 के अनुसार) दुरूस्त करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार पारीक ने वकालतनामा प्रस्तुत कर उपस्थित हुए। अप्रार्थी सं0 1 (पेरोकार सरकार तहसीलदार) ने उपस्थित होकर अपने पत्र कमांक/ आर.एन.टी./19/68 दिनांक 12.03.19 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया गया कि ग्राम बोबाडी में स्थित हाल खसरा नम्बर 396, 397, 398, 399 कुल रकबा किता 4 कुल रकबा 3.56है0 प्रार्थीगण पोखर, प्रहलाद, बाबूलाल, ताराचन्द, रामचन्द्र पि0 भूरामल हि0 6/7 पुष्पा देवी पत्नि स्व0 अर्जुन, हरिनारायण, कमलेश (बालिक) पि0 अर्जुन, रेखा पुत्री अर्जुन नाबा0 सं0 माता पुष्पा देवी पत्नि स्व0 अर्जुन हि0 4/35 राहिन पी0एन0बी0 शाखा गठवाडी मुर्तहीन दिनेश पुत्र अर्जुन हि0 1/35 कौम ब्राहमण सा0देह की संयुक्त खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल एकीकरण के साबिक खसरा नम्बर 246 के हाल खसरा नम्बर 396 साबिक खसरा नम्बर 247 के हाल खसरा नम्बर 397 साबिक ख0न0 248 मि0 के हाल खसरा नम्बर 398 गै0मु0चाह तथा साबिक ख0न0 248 मि. के हाल खसरा नम्बर 399 कायम होकर दर्ज रिकार्ड है। एकीकरण के साबिक खसरा नम्बर 246, 247, की सीमाओं को हाल रिकार्ड नक्शा शीट मे पूर्व सीमाओं के अनुसार कायम किया गया है। ग्राम बोबाडी के पटवार रिकार्ड में मौजूद हाल नक्शा शीट में एकीकरण के साबिक खसरा नम्बर 248 मि. की सीमाओ के अनुसार कायम किया गया है। जिसके कारण वर्तमान नक्शा शीट एवं एकीकरण के नक्शा लट्ठा में मौजूद तरमीम में कोई भिन्नता नही है। वादीगण उक्त आराजियात पर पूर्व से काबिज काश्त है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा ए0सी0एम0 न्यायालय के प्रकरण सं0 43/2017 की आड में वादीगण की हाल खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 399 की पूर्व सीमा पर मौजूद पुश्तैनी मिट्टी की मेंड में कब्जा का प्रकरण विवादित रहा है। वादीगण की हाल वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 399 रकबा 3.49है0 के मध्य में तरमीमशुदा ख0न0 396 गै0मु0चाह, ख0न0 397 आबादी भूमि की तरमीम बन्दोबस्त, एकीकरण एवं हाल नवीन शीट में मौके से भिन्न कायम किया गया है जो दुरस्ती योग्य है। अतः ग्राम बोबाडी स्थित वादीगण की सहखातेदारी भूमि खसरा नम्बर 399 रकबा 3.49है0 ग्राम बोबाडी के हाल रिकार्ड नक्शा शीट में तरमीमशुदा है जिस पर वादीगण काबिज काश्त है। वादीगण के उक्त आराजी खसरा नम्बर 399 के मध्य में खसरा नम्बर 396 गै0मु0चाह, खसरा नम्बर 397 गै0मु0आबादी तरमीम शुदा है। खसरा नम्बर 399 के मध्य में तरमीम शुदा हाल खसरा नम्बर 396, 397 एकीकरण से हाल नक्शा शीट मौके से 14 से 15 मीटर भिन्न हटकर कायम किया गया है। जो दुरस्ती योग्य है जबकि वादग्रस्त हाल आराजी ख0न0 399 की पश्चिम से पूर्व की चौडाई मौका एवं नाप अनुसार सही है।

वकील उभयपक्षों की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्षो की बहस सुनने व पैराकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर हम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार करना उचित समझते है ।

अतः प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाकर मुताबिक जवाब तहसीलदार के अनुसार वादग्रस्त भूमि ग्राम बोबाडी, पटवार मण्डल बोबाडी, तहसील जमवारामगढ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 399 के मध्य में खसरा नम्बर 396 व 397 के वर्तमान नक्शे को एकीकरण नक्शे अनुसार तरमीम दुरूरस्त करने के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ को दिये जाते है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 20.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ